

**भारत सरकार**  
**जल शक्ति मंत्रालय**  
**पेयजल एवं स्वच्छता विभाग**  
**लोक सभा**  
**अतारांकित प्रश्न सं० 1616**  
**दिनांक 28.11.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**उत्तर प्रदेश में पेयजल योजनाएं**

**1616. श्री राजवीर दिलेर:**

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश भर में, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में लोगों को पेयजल प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यशील हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में चल रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इस हेतु कितनी निधि आवंटित की गई है?

**उत्तर**  
**राज्य मंत्री, जल शक्ति**  
**(श्री रतन लाल कटारिया)**

(क) और (ख) पेयजल राज्य का विषय है। भारत सरकार उत्तर प्रदेश सहित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करके उनके प्रयासों को पूरा करती है। वर्ष 2024 तक सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के सेवा स्तर के साथ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए भारत सरकार ने जल जीवन मिशन (जेजेएम) आरंभ किया है। जेजेएम के लिए पांच वर्षों में योजनागत परिव्यय 3.60 लाख करोड़ रु. है जिसमें से केंद्र सरकार की हिस्सेदारी लगभग 2.08 लाख करोड़ रु. है।

(ग) जैसा राज्य सरकार ने सूचित किया है, हाथरस जिले में जेजेएम के अंतर्गत तीन चालू पेयजल आपूर्ति परियोजनाएं हैं। भारत सरकार जेजेएम के अंतर्गत निधियों का आबंटन वैयक्तिक परियोजना-वार नहीं करती है। वर्ष 2019-20 में, उत्तर प्रदेश को 1,390.37 करोड़ रु. की राशि आबंटित की गई है।

\*\*\*\*\*